Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **प्रतापगढ में पटवारी को 2 हजार 500 रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया,**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *06 जनवरी।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की प्रतापगढ़ इकाई द्वारा आज बुधवार को कार्यवाही करते हुये हलका पटवारी बसेडा जिला प्रतापगढ़ नेमीचन्द को 2500/ रूपये की रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की प्रतापगढ़ इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि नामांन्तकरण की एवज में आरोपी नेमीचन्द पटवारी हलका बसेडा, छोटीसादडी प्रतापगढ़ द्वारा 2500/रूपये की रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी प्रतापगढ़ के **उप अधीक्षक पुलिस श्री हेरम्ब जोशी** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज अपनी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये नेमीचन्द्र पुत्र श्री नारायण प्रसाद प्रजापत निवासी धोलापानी दरवाजा छोटीसादडी हाल पटवारी पटवार मंडल बसेडा जिला प्रतापगढ को परिवादी से 2500 **रूपये की रिश्वत** राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।